www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 22.02.2017

**सीबीआई ने मामले की जारी जॉंच में एक प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया**

सीबीआई ने मामले की जारी जॉंच में एक प्राइवेट व्यक्ति (हैदराबाद निवासी) को आज गिरफ्तार किया। हैदराबाद स्थित उक्त आरोपी व्यक्ति के आवासीय परिसर से तलाशी के दौरान 35.5 लाख रू. (लगभग) की नकद राशि एवं आधा किग्रा. के सोने के आभूषण बरामद हुआ। पूर्व में, वह फरार था एवं जॉंच में शामिल नही हो रहा था। गहन प्रयास के पश्चात, उसे हैदराबाद से खोज निकाला गया।

गिरफ्तार आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष कल पेश किया जायेगा।

ध्यान रहे कि सीबीआई ने दिनांक 18.02.2017 को छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधान सचिव (आई.ए.एस.-1988) ; ग्रेटर नोयडा (उत्तर प्रदेश) निवासी एक प्राइवेट व्यक्ति ; हैदराबाद (तेलंगाना) निवासी एक अन्य प्राइवेट व्यक्ति तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध उक्त लोक सेवक द्वारा अपने खिलाफ़ चल रही सीबीआई जॉंच में मदद करने के लिए प्राइवेट व्यक्तियों को घूस के तौर पर 1.5 करोड़ रू. (लगभग) का भुगतान से सम्बन्धित आरोप पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में अब तक तलाशी अभियान के द्वारा कुल 91.9 लाख रू. (लगभग) की नकद राशि एवं 3.5 किग्रा. (लगभग)का सोना बरामद हुआ।

आगे की जॉंच जारी है।

************